	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी वाके ग्राम नान्ता तह0 लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 540 रकबा है0 नहरी प्रथम स्थित थी, जिसमें वादिनी का 1/6 हिस्सा निहित है, जिसमें वादिनी का नाम मनु दर्ज है। जबकी वादनी का असली एवं वास्तविक नाम मन्नी बाई है। अतः उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मनु पुत्री लटूर के स्थान पर मन्नी बाई पुत्री लटूर दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करें। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेज भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम मन्नी बाई होना चाहिए था, जो त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नान्ता तह0 लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 540 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया मनु पुत्री लटूर जाति माली के स्थान पर मनु उर्फ मन्नी बाई पुत्री लटूर जाति माली दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	